<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 24.12.2024</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डीवी/पीएसटी) हेतु की गयी तैयारियों का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश

गोण्डा। आज दिनांक 24.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण(डीवी/पीएसटी) हेतु पुलिस लाइन में बनाए गए बोर्ड का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों के प्रवेश द्वार, बायोमैट्रिक स्थल, अभ्यार्थियों के होल्डिंग एरिया/बैठने की स्थान व डीवी/पीएसटी स्थल पर लगाए गए सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थिति को चेक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था (परीक्षण संचालन/सुरक्षा) के अधिकारियों को डीवी/पीएसटी की जो नियम एवं शर्ते है, उनके अनुरूप ही सभी अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण किए जाने तथा किसी भी प्रकार की कोई अनियमिता न होने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उनके कर्तब्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहने हेतु निर्देशित किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2023 की लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के अगले चरण में अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यार्थियों की सूची बोर्ड द्वारा दिनांक 21.11.2024 को प्रख्यापित की गयी थी। इन अर्ह अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जनपद गोण्डा में दिनांक 26.12.2024 से होना प्रस्तावित है। जिसमें 535 अभ्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। उक्त कार्यवाही प्रतिदिन प्रातः 9:15 से प्रारम्भ होकर कार्य समाप्त होने तक संपादित की जाएगी। उक्त कार्यवाही के दौरान अभ्यार्थियों द्वारा की गयी आपत्तियों का परीक्षण एवं उस पर निर्णय की कार्यवाही सायंकाल 15:00 बजे से नोडल अधिकारी/अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। डीवी/पीएसटी स्थल की लगातार सी0सी0टी0वी0 कैमरों से निगरानी की जाएगी। भर्ती की सुचिता बनाए रखने के लिए गोपनीय और ओपनली दोनो प्रकार की टीमें अपना काम कर रही है।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट,
दिनांक 24.12.2024

थाना तरबगंज व उमरीबेगमगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल, 4,000 रूपये व नाजायज चाकू बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज व उमरीबेगमगंज की संयुक्त टीम मु0अ0सं0–332/24, धारा 303(2) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज से सम्बन्धित 02 शातिर चोर–01. मोहर्रम अली उर्फ बांके पुत्र निजामुद्दीन उर्फ निजाम नेपाली नि0 जमदरा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा, 02. सलमान कुरैशी पुत्र मोहम्मद यूनुस नि0 इमामबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल, 4000 रू0 व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 24.12.2024 को प्रातः 5:20 बजे थाना तरबगंज व थाना उमरीबेगमगंज की संयुक्त टीम द्वारा रंगड़गंज चौराहे से 02 शातिर चोरों– 01. मोहर्रम अली उर्फ बांके, 02. सलमान कुरैशी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी की स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल, 4,000/– रू0 व अभियुक्त सलमान कुरैशी के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 17/18.12.2024 की रात्रि थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के चौधकिया पुल परसदा तथा चौहान पुरवा से 05–05 बकरिया चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। गिरफ्तार अभियुक्तणों के विरूद्ध थाना तरबगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने हेतु जनपद में भैस/बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोहर्रम अली उर्फ बांके पुत्र निजामुद्दीन उर्फ निजाम नेपाली नि0 जमदरा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. सलमान कुरैशी पुत्र मोहम्मद यूनुस नि0 इमामबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–540/24, धारा 317(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. 01. मु0अ0सं0–332/24, धारा 303(2), 317(4), 112 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चोरी की स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।

03. 4,000/- रू0 नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी थाना तरगबंज मय टीम।
02. उ0नि0 रवि प्रकाश यादव थाना उमरीबेगमगंज मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 24.12.2024</u>

<u>थाना को0 कर्नलगंज व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा लखनऊ–गोण्डा मार्ग ब्रह्मचारी स्थान के सामने से गज्जू पुरवा जाने वाले रास्ते में पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त शातिर बदमाश सुनील कश्यप पुत्र देशराज कश्यप नि0 ग्राम थर मजरा पतिसा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाईकिल, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 20.12.2024 को थाना को0 कर्नलगंज व दिनांक 22.12.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं से टप्पेबाजी कर सोने चांदी के आभूषण उड़ा लेने की घटना घटित हुई थी। घटनाओं को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को भी बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 24.12.2024 को थाना को0 कर्नलगंज व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में रवाना थी कि सूचना प्राप्त हुई कि महिलाओं से छलपूर्वक टप्पेबाजी कर उनके आभूषण हड़पने के शातिर बदमाश गोण्डा–लखनऊ राजमार्ग स्थित ब्रह्मचारी स्थान के सामने से गज्जू पुरवा जाने वाले रास्ते में जा रहे है। उक्त सूचना पर थाना को0 कर्नलगंज व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा बताये गये स्थान पर शातिर बदमाशों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश सुनील कश्यप पुत्र देशराज कश्यप के बाये पैर में गोली लगी है। जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः–</u>

शातिर बदमाश से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वह अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह–तरह के तरीके अपनाकर महिलाओं से टप्पेबाजी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 20.12.2024 को थाना को0 कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत

तथा दिनांक 22.12.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं से टप्पेबाजी की घटना कारित करते हुए उनके सोने चांदी के आभूषण उड़ा लिए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना को0 कर्नलगंज व थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. सुनील कश्यप पुत्र देशराज कश्यप नि0 ग्राम थर मजरा पतिसा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 534/2024, धारा 318(4),316(2) बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–943/24, धारा 318(4) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–535/24, धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस मय 01 अदद खोखा कारतूस।
02. 01 अदद मंगल सूत्र।
03. 01 जोड़ी कान के बाले।
04. 01 जोड़ी पायल।
05. 01 अदद घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाईकिल।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. प्र0नि0 कर्नलगंज श्रीधर पाठक मय टीम।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 संजय गुप्ता।
03. प्रभारी सर्विलांस अनुज त्रिपाठी।
04. प्रभारी साइबर शादाब आलम।
05. हे0का0 अमित पाठक।
06. हे0का0 अरूण यादव।
07. हे0का0 महेन्द्र यादव।
08. हे0का0 हृदय नारायण दीक्षित।
09. हे0का0 पंकज सिंह।
10. हे0का0 रवि यादव।
11. का0 आदित्य पाल।
12. का0 अमितेश सिंह।
13. का0 अंशुमान पाण्डेय।

<u>अभियुक्त सुनील कश्यप पुत्र देशराज कश्यप का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0– 318/21, धारा 323,504,506 भादवि थाना खंडासा जनपद अयोध्या।
02. मु0अ0सं0–610/22, धारा 411,414,419,420 भादवि थाना को0 नगर जनपद अयोध्या।
03. मु0अ0सं0–333/22, धारा 380,411,457 भादवि थाना को0 नगर जनपद अयोध्या।
04. मु0अ0सं0–119/21, धारा 411,419,420 भादवि थाना को0 नगर जनपद बस्ती।
05. मु0अ0सं0–313/21, धारा 307,401,411 भादवि थाना छावनी जनपद बस्ती।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>